



नपुण भारत मशिन

प्रलिस के लयि

नपुण भारत मशिन तथा भारत में शकिसा से संबधति अनय पहलें

मेन्स के लयि

नपुण भारत मशिन : परचिय, उददेश्य, लक्ष्य तथा महत्त्व; भारत में शकिसा तथा नवीन शकिसा नीतिका महत्त्व

चर्चा में क्यों?

शकिसा मंत्रालय ने 'बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढाई में प्रवीणता के लयि राष्ट्रीय पहल - नपुण' (National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy- NIPUN) भारत मशिन की शुरुआत की है।

- इसका उददेश्य 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करना है।

प्रमुख बडि

NEP 2020 का हसिसा:

- यह पहल [NEP \(राष्ट्रीय शकिसा नीति\) 2020](#) के एक भाग के रूप में शुरू की जा रही है।
- इस नीतिका उददेश्य देश में स्कूल और उच्च शकिसा प्रणालियों में परिवर्तनकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त करना है। इस नीतिने 34 वर्षीय राष्ट्रीय शकिसा नीति (NPE), 1986 को प्रतिस्थापति कयि।

उददेश्य:

- आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के सार्वभौमिक अधगिरहण को सुनिश्चित करने के लयि एक सक्षम वातावरण बनाना ताकि ग्रेड 3 का प्रत्येक बच्चा वर्ष 2026-27 तक पढने, लिखने और अंकगणति में वांछति सीखने की क्षमता प्राप्त कर सके।

केंद्रबडि के कषेत्तर:

- यह स्कूली शकिसा के मूलभूत वर्षों में बच्चों तक शकिसा की पहुँच प्रदान करने और उन्हें बनाए रखने पर ध्यान केंद्रति करेगा जैसे- शकिसक क्षमता निर्माण, उच्च गुणवत्ता और छात्र एवं शकिसक संसाधनों/शकिसण सामग्री का विकास तथा सीखने के परिणामों को लेकर प्रत्येक बच्चे की प्रगति पर नज़र रखना।


कार्यानवयन:

- स्कूली शकिसा एवं साक्षरता वभिग द्वारा NIPUN को भारत में कार्यानवति कयि जाएगा।
- समग्र शकिसा** की केंद्र प्रायोजति योजना के तहत सभी राज्यों और केंद्रशासति प्रदेशों में राष्ट्रीय, राज्य, ज़िला, ब्लॉक, स्कूल स्तर पर एक पाँच स्तरीय कार्यानवयन तंत्र स्थापति कयि जाएगा।
 - 'समग्र शकिसा' कार्यक्रम तीन मौजूदा योजनाओं- सर्व शकिसा अभयान (SSA), राष्ट्रीय माध्यमिक शकिसा अभयान (RMSA) और शकिसक शकिसा (TE) को मलिकर शुरू कयि गया था।
 - इस योजना का उददेश्य पूर्व-वदियालय से बारहवीं कक्षा तक स्कूली शकिसा को समग्र रूप से सुनिश्चित करना है।
- नषिठा** (National Initiative for School Heads and Teachers Holistic Advancement- NISHTHA) के तहत बुनयिदी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान (Foundational Literacy and Numeracy- FLN) के लयि एक विशेष पैकेज NCERT द्वारा वकिसति कयि जा रहा है।
 - इस वर्ष प्री-प्राइमरी से प्राइमरी कक्षा तक पढाने वाले लगभग 25 लाख शकिसकों को FLN का प्रशकिसण प्रदान कयि जाएगा।

- नष्टिठा "एकीकृत शकिषक प्रशकिषण के माध्यम से स्कूली शकिषा की गुणवत्ता में सुधार" के लयि एक कषमता नरिमाण कारयकुरम है ।
- पूरव-प्राथमकि या बालवाटकि ककषाओं के कुरम में चरण-वार लकष्य नरिधारति कयि जा रहे हैं ।

अपेकषति परणाम:

- प्राथमकि कौशल बच्चों को ककषा में रखने में सकषम बनाते हैं जसिसे बीच में पढाई छोडने वाले बच्चों को कम कयि जा सकता है तथा इससे **प्राथमकि से उच्च प्राथमकि व माध्यमकि चरणों में पढाई छोडने की दर में कमी** आएगी ।
- गतविधि आधारति लरनगि और सीखने के अनुकूल माहौल से **शकिषा की गुणवत्ता में सुधार** होगा ।
- खलौना आधारति और अनुभवात्मक लरनगि जैसी **अभनिव अध्यापन कला** ककषा कारय में इस्तेमाल की जाएगी जसिसे लरनगि (सीखना) एक आनंदमय और आकरषक गतविधि बनेगी ।
- **शकिषकों का उच्च कषमता नरिमाण** उन्हें सशकृत बनाता है और **अध्यापन कला चुनने के लयि अधिक स्वायत्ता** प्रदान करता है ।
- शारीरकि, सामाजकि एवं भावनात्मक वकिस, साकषरता व संख्यात्मक वकिस, संजानात्मक वकिस, जीवन कौशल आदि जैसे परस्पर संबधति और नरिभर वकिस के वभिनिन कषेत्रों पर ध्यान केंद्रति कर **बच्चों का समग्र वकिस** कयि जाएगा जो उसके प्रगती कार्ड में परलकषति होगा ।
- इस प्रकार बच्चों तेजी से सीखने की कषमता हासलि करेंगे जो उनकी शकिषा के **बाद के जीवन परणामों और रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव** डाल सकता है ।
- चूँकि शकिषा ग्रहण हेतु हर बच्चा प्रारंभकि ग्रेड में प्रवेश लेता है, इसलयि उस स्तर पर ध्यान देने से **सामाजकि-आर्थकि व अलाभकारी समूह** को भी लाभ होगा, इस प्रकार समान तथा समावेशी गुणवत्तापूरण शकिषा तक पहुँच सुनिश्चित होगी ।



भारत में शकिषा

संवैधानकि प्रावधान:

- **भारतीय संवधान के भाग IV-** राज्य के नीतिनरिदेशक सदिधांतों (DPSP) के अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 39 (f) में राज्य द्वारा वतितपोषण के साथ-साथ समान और सुलभ शकिषा का प्रावधान है ।
- **42वें संवधान संशोधन 1976** ने शकिषा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरति कर दयि ।
 - केंद्र सरकार की शकिषा नीतियों एक व्यापक दशिा प्रदान करती हैं और राज्य सरकारों से इनका पालन करने की अपेक्षा की जाती है लेकिन यह अनवार्य नहीं है, उदाहरण के लयि तमलिनाडु राज्य वर्ष 1968 की प्रथम शकिषा नीतिद्वारा नरिधारति त्रि-भाषा फार्मुले का पालन नहीं करता है ।
- **86वें संशोधन अधनियम, 2002** ने शकिषा को अनुच्छेद 21-A के तहत लागू कयि जाने योग्य अधिकार बना दयि ।

संबधति कानून:

- **शकिषा का अधिकार (RTE) अधनियम, 2009** का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमकि शकिषा प्रदान करना और शकिषा को मौलकि अधिकार के रूप में लागू करना है ।
 - यह गैर-अल्पसंख्यक नजिी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को अधिकि एकीकृत तथा समावेशी स्कूली शकिषा प्रणाली बनाने हेतु अपनी प्रवेश स्तर की सीटों में से कम-से-कम 25% सीटें वंचति वर्गों के बच्चों के लयि आरकषति रखने का आदेश देता है ।

सरकार द्वारा की गई पहल:

- **सरव शकिषा अभयान, मध्याह्न भोजन योजना, नवोदय वदियालय, केंद्रीय वदियालय** तथा शकिषा में सूचना प्रौद्योगकिी का उपयोग वर्ष 1986 की राष्ट्रीय शकिषा नीति का परणाम है ।

स्रोत: द हट्टू

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/nipun-bharat-mission>